कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या : /संविदा चिकि0/विज्ञप्ति–4/2020–21 दिनांक : 23 जून 2020

– संशोधित विज्ञप्ति –

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी में राष्ट्रीय आपदा कोविड–19 के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षको की कमी को पूरा करने हेतु निम्न रिक्त पदों पर संविदा तैनाती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02 जुलाई 2020 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झाँसी में आमंत्रित किये जाते है।

कम	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	आर्थोपैडिक्स			1				1					
2	ऑफ्थैल्मोलॉजी												
3	ऑब्सटैट्रिक्स एण्ड गायनीकोलॉजी					2	1					1***	
4	एनाटॉमी	1						1					
5	एनेस्थीसियोलॉजी			1 T		1	1				1		
6	ओटो–राईनो–लैरिंगोलॉजी											1	
7	कम्युनिटी मेडिसिन		1			1	1			1+1**	1		
8	कार्डियोलॉजी	1						1	1				
9	जनरल मेडिसिन		1				1				2		
10	जनरल सर्जरी												
11	टयूबरकुलोसिस एण्ड रैसपीरेटरी मेडिसिन												
12	डर्मेटोलॉजी, वेरे0 एण्ड लेप्रोसी					1							
13	डेन्टिस्ट्री												
14	न्यूरोलॉजी		1							1			
15	न्यूरोसर्जरी	1		1 T							1		
16	नेफ्रोलॉजी								1		1		
17	प्लास्टिक सर्जरी							1				1*	
18	पीडियाट्रिक्स	1					1						
19	पैथोलॉजी										1		
20	फार्माकोलॉजी							1					1
21	फिजियोलॉजी		1								1	1	
22	फोरेन्सिक मेडिसिन	1				1							
23	बायोकैमिस्ट्री		1										
24	माइक्रोबायोलॉजी				1					1			
25	यूरोलॉजी			1									
26	रेडियोडायग्नोसिस						1			1	1		
27	रेडियोथेरेपी										1#		1
28	साइकियेट्री												
	TOTAL	5	5	4	1	6	6	5	2	5	10	4	2

* Lecturer Orthodontics, ** Biostatistics, *** ANMO, # Medical physicist, T= Trauma Center.

1– वॉक इन इन्टरव्यू (साक्षात्कार) दिनांक 10, जुलाई 2020 को समय 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य होंगें।

2– नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।

3– शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018, दिनांक 21–11–2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।

4– आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institution Regulation 1998 द्वारा एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना अनिवार्य है।

5– आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होंगी।

6– चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी। संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगें।

7– पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जिसकी सूचना कोलज की वेब साइट पर अपलोड कर दी जायेगी एवं तदनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

8– शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–1 दिनांक 23–10–2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ई0डब्लू0एस0 के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लू0एस0) वर्ग का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

9– आवेदकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है, कि प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक रूप से हाई स्कूल अंक तालिका, एम0बी0बी0एस0 अंक तालिकायें, रजिस्ट्रेशन, पी0जी0 के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पब्लिकेशन्स, एवं अन्य तत्सम्बन्धी प्रपत्र अवश्य संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।

10– आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0–1, दिनांक 13–08–2019 का अनुपालन मान्य होगा।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या : 3121/संविदा चिकि0/विज्ञप्ति/2020–21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –:

1– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ।

2– प्रभारी अधिकारी–वेब साइट, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

3– संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झाँसी।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।